607 /राज्य कर।

पत्र सं०-जी०एस०टी० ऑडिट/2025-26/

कार्यालयः आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी०एस०टी० ऑडिट अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
समस्त संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जी०एस०टी० ऑडिट हेतु जोनवार / टर्नओवरवार करदाताओं का अलग-अलग श्रेणी में निर्धारण करते हुए ऑडिट हेतु चयनित करदाताओं के संदर्भ में।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये जीएसटी ऑडिट हेतु अपर आयुक्त (विधि/जीएसटी) राज्य कर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जोन की श्रेणी के वर्गीकरण का आधार 50 करोड़ टर्नओवर से ऊपर के व्यापारियों की संख्या को बनाया गया है। जिन जोन में 50 करोड से अधिक के व्यापारियों (निर्माता, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडस एवं अन्य) की संख्या 140 से अधिक है, उन्हें श्रेणी-ए में, 101 से 140 तक श्रेणी-बी में तथा 100 या इससे कम संख्या वाले को श्रेणी-सी में रखा गया है, जिसके अनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नवत है-

श्रेणी-ए,	**श्रेणी-बी,**	**श्रेणी-सी,**
1. गौतमबुद्धनगर	1. वाराणसी-प्रथम	1. प्रयागराज
2. गाजियाबाद-प्रथम	2. मेरठ	2. झाँसी
3. लखनऊ-प्रथम	3. बरेली	3. इटावा
4. गाजियाबाद-द्वितीय	4. गोरखपुर	4. अयोध्या
5. लखनऊ-द्वितीय	5. मुरादाबाद	
6. कानपुर प्रथम	6. वाराणसी-द्वितीय	
7. कानपुर-द्वितीय	7. सहारनपुर	
8. आगरा	8. अलीगढ़	

इसी प्रकार समिति द्वारा पूर्व में वर्गीकृत बड़े, मध्यम एवं छोटे करदाता (क, ख, ग एवं घ) में छोटे करदाता की न्यूनतम टर्नओवर की सीमा 40 लाख रखते हुये उक्त तीनों श्रेणियों के जोन्स के लिए पंजीकृत करदाताओं को उनके टर्नओवर के अनुसार निम्न प्रकार 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जोन	**बड़े करदाता (टर्नओवर) (श्रेणी-क)**	**मध्यम करदाता (श्रेणी-ख)**	**छोटे करदाता**	
			(श्रेणी-ग)	**(श्रेणी-घ)**
श्रेणी-ए	> 60 करोड़	25 करोड़ से 60 करोड़	5 करोड़ से 25 करोड़	5 करोड़ से 40 लाख
श्रेणी-बी	> 40 करोड़	20 करोड़ से 40 करोड़	5 करोड़ से 20 करोड़	5 करोड़ से 40 लाख
श्रेणी-सी	> 25 करोड़	15 करोड़ से 25 करोड़	5 करोड़ से 15 करोड़	5 करोड़ से 40 लाख

उपरोक्तानुसार जोन एवं करदाताओं के वर्गीकरण के उपरांत समिति द्वारा चयनित मानकों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये जीएसटी ऑडिट हेतु करदाताओं का चयन किया गया है। समिति द्वारा जोनवार चयनित श्रेणी 'क' के 30 करदाता एवं श्रेणी-'ख' के 45 करदाताओं की सूची संबन्धित जोन के जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉग-इन आई०डी० पर टैक्स ऑडिट की कार्यवाही हेतु तथा विभागीय वेबसाइट Comtax.up.nic.in पर सूचनार्थ उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2022-23 के लिये टैक्स ऑडिट हेतु चयनित पंजीकृत करदाताओं के ऑडिट सम्पादित करने की समय-सीमा 30.06.2026 निर्धारित की जाती है।

टैक्स ऑडिट शाखा में तैनात अधिकारी अधिनियम में स्थापित व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये चयनित करदाताओं का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ऑडिट करना सुनिश्चित करेंगे।

(**डा० नितिन बंसल**)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्तः-</u>

प्रतिलिपि:-संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय की ई-मेल पर चयनित सूची इस आशय से प्रेषित कि संबन्धित जोन के जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉग-इन आई०डी० तथा विभागीय वेबसाइट Comtax.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

18/11/25
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।